



# पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN:- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248002

E-mail:- hr@ptcul.org

दूरभाष नं0 0135-2645249 फ़ैक्स नं0 0135-2645249 वैबसाईट www.ptcul.org

पत्रांक: 649 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी-8

दिनांक: 13.04.2026

## कार्यालय ज्ञापन

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-50, 51 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पिटकुल के निदेशक मण्डल की दिनांक 10.02.2026 को आहूत 105वीं बैठक के एजेण्डा आईटम संख्या 105.15 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्वारा "पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड कार्मिकों की आचरण विनियमावली-2026" निम्नवत् अनुमोदित एवं प्रख्यापित की जाती है :-

### पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड कार्मिकों की आचरण विनियमावली-2026

- संक्षिप्त नाम- 1. (क) यह नियमावली पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड कार्मिकों की आचरण विनियमावली, 2026 कहलायेगी।
- (ख) यह प्रसार की तिथि से प्रभावी होगी।
- परिभाषाएं- 2. जब तक प्रसंग से अन्य कोई अर्थ अपेक्षित न हो, इस विनियमावली में,
- (क) "कार्मिक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड की सेवाओं और पदों पर नियुक्त हो।
- स्पष्टीकरण-किसी बात के होते हुए भी ऐसे कार्मिक जिनका वेतन पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड से आहरित किया जाता है, ऐसे निगमीय कार्मिक जिनकी सेवायें अन्य सरकारी कम्पनी, निगम, संगठन, स्थानीय प्राधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, केन्द्रीय सरकार, किसी अन्य राज्य सरकार को अर्पित कर दी हो, इन नियमों के प्रयोजनों के लिये, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड का कार्मिक समझा जायेगा।
- (ख) "समुचित प्राधिकारी" से तात्पर्य नियुक्ति प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिकृत अन्य प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर प्राधिकारी से है।
- (ग) "सरकार" से तात्पर्य उत्तराखण्ड सरकार से है।
- (घ) "निगम" का तात्पर्य "पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड" से है।

मुख्यालय एवं पंजीकृत कार्यालय:- विद्युत भवन, नजदीक-आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून - 248002

दूरभाष नं0 0135-2645249 फ़ैक्स नं0 0135-2643460

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड कार्मिकों की आचरण विनियमावली-2026

(ड.) किसी कार्मिक के संबंध में, "परिवार का सदस्य" के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे:-

(1) ऐसे कार्मिक की पत्नी, उसका लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित लड़की या अविवाहित सौतेली लड़की चाहे वह उसके साथ रहता/रहती हो अथवा नहीं, और किसी महिला, कार्मिक के संबंध में, उसके साथ रहने वाला तथा उस पर आश्रित उसका पति, तथा;

(2) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो रक्त संबंध से या विवाह द्वारा उक्त कार्मिक या संबंधी हो या ऐसे कार्मिक की पत्नी का या उसके पति का सम्बन्धी हो और जो ऐसे कार्मिक पर पूर्णतः आश्रित हो,

किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी पत्नी या पति सम्मिलित नहीं होगी/सम्मिलित नहीं होगा, जो कार्मिक से विधितः पृथक की गई हो/पृथक किया गया हो या ऐसा लड़का, सौतेला लड़का अविवाहित लड़की या अविवाहित सौतेली लड़की सम्मिलित नहीं होगा, या/सम्मिलित नहीं होगी जो आगे के लिये, किसी भी प्रकार उस पर आश्रित नहीं है या जिसकी अभिरक्षा (custody) से कार्मिक को, विधि द्वारा वंचित कर दिया गया हो।

सामान्य -

3. (1) प्रत्येक कार्मिक को पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड का कार्मिक रहते हुए आत्यंतिक रूप से सत्यनिष्ठा तथा कर्तव्य परायणता से अपने कार्यों का निर्वहन करना होगा।
- (2) प्रत्येक कार्मिक को पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड का कार्मिक रहते हुए उसके व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले तत्समय प्रवृत्त विशिष्ट (Specific) या विवक्षित (implied) निगमिय आदेशों के अनुसार आचरण करना होगा।
- (3) कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध-
- 1- कोई कार्मिक किसी महिला के कार्यस्थल पर, उसके यौन उत्पीड़न के किसी कार्य में संलिप्त नहीं होगा।
- 2- प्रत्येक कार्मिक जो किसी कार्य स्थल का प्रभारी हो, उस कार्यस्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए "यौन उत्पीड़न" में, प्रत्यक्षतः या अन्यथा कामवासना से प्रेरित कोई ऐसा अशोभनीय व्यवहार सम्मिलित है जैसे कि-

- (क) शारीरिक स्पर्श और कामोदीप्त प्रणय संबंधी चेष्टायें,  
(ख) यौन स्वीकृति की मांग या प्रार्थना,  
(ग) कामवासना-प्रेरित फब्तियाँ,

(घ) किसी कामोत्तेजक कार्य/व्यवहार या सामग्री का प्रदर्शन, या  
(ड.) यौन संबंधी कोई अन्य अशोभनीय शारीरिक, मौखिक या  
सांकेतिक आचरण।

- सभी लोगों के साथ समान व्यवहार -
4. (1) कोई कार्मिक घरेलू कार्य में सहायता के रूप में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सेवायोजित नहीं करेगा।
- (2) प्रत्येक कार्मिक को सभी जाति, पंथ (sect) या धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार करना होगा।
- (3) कोई कार्मिक किसी रूप में अस्पृश्यता का आचरण नहीं करेगा।

मादक पान, तथा औषधि का सेवन-

- 4-क कोई कार्मिक,
- (क) किसी क्षेत्र में, जहाँ वह तत्समय विद्यमान हो, मादकपान अथवा मादक औषधि निषेध संबंधी प्रवृत्त किसी विधि का दृढ़ता से पालन करेगा,
- (ख) अपने कर्तव्यपालन के दौरान किसी मादक पान या औषधि के प्रभावाधीन नहीं होगा और इस बात का सम्यक् ध्यान रखेगा कि किसी भी समय उसके कर्तव्यों का पालन किसी भी ऐसे पेय या भेषज के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है,
- (ग) सार्वजनिक स्थान में किसी मादक पान अथवा औषधि के सेवन में अपने को विरत रखेगा,
- (घ) मादक पान करके किसी सार्वजनिक स्थान में उपस्थित नहीं होगा,
- (ड.) किसी मादक पान या औषधि का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण-एक-इस नियम के प्रयोजनार्थ "सार्वजनिक स्थान" का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान या परिसर (जिसमें कोई सवारी वाहन भी सम्मिलित है) से है, जहाँ भुगतान अथवा अन्य प्रकार से जनता को आने-जाने की अनुज्ञा हो।

स्पष्टीकरण-दो-कोई क्लब जहाँ,

- (क) कार्मिकों से भिन्न व्यक्तियों को सदस्य के रूप में प्रवेश की अनुमति देता है, अथवा
- (ख) जिसके सदस्यों को उसमें अतिथि के रूप में गैर- सदस्यों को आमंत्रित करने की अनुज्ञा हो, भले ही सदस्यता कार्मिकों के लिए ही सीमित हो।

स्पष्टीकरण एक के प्रयोजनार्थ ऐसा स्थान समझा जायेगा जहाँ पर जनता आ-जा सकती हो या उसे आने-जाने की अनुज्ञा हो।

राजनीति तथा चुनावों में हिस्सा

- 5- (1) कोई कार्मिक किसी राजनीतिक दल का या किसी ऐसी संस्था का, जो राजनीति में हिस्सा लेती है, सदस्य न होगा और न

लेना—

अन्यथा उससे संबंध रखेगा और न वह किसी ऐसे आन्दोलन में या संस्था में हिस्सा लेगा, उसकी सहायतार्थ चन्दा देगा या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करेगा, जो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार या पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड के प्रति ध्वंसक है या उसके प्रति ध्वंसक कार्यवाहियाँ करने की प्रवृत्ति पैदा करती है।

#### उदाहरण

राज्य में 'क', 'ख', 'ग' राजनीतिक दल हैं।

'क' वह दल है जो सत्ता में है और जिसने तत्समय सरकार बनाई है।

'अ' एक पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड का कार्मिक है।

यह उप-नियम 'अ' पर सभी दलों के संबंध में, जिसमें 'क' दल भी, जो कि सत्ता में है, सहित प्रतिषेध करेगा।

- (2) प्रत्येक कार्मिक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, किसी ऐसे आन्दोलन या क्रिया (activity) में, जो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार या पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड के प्रति ध्वंसक है या उसके प्रति ध्वंसक कार्यवाहियाँ करने की प्रवृत्ति पैदा करती है, हिस्सा लेने, सहायतार्थ चन्दा देने या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करने से रोकने का प्रयत्न करे, और, उस दशा में जबकि कोई कार्मिक अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलन या क्रिया में भाग लेने, सहायतार्थ चन्दा देने या किसी अन्य रीति से मदद करने से रोकने में असफल रहे, तो वह इस आशय की एक रिपोर्ट पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड के पास भेज देगा।

#### उदाहरण

'क' एक पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड का कार्मिक है।

'ख' एक "परिवार का सदस्य" है, जैसी कि उसकी परिभाषा नियम 2(ड.) में दी गयी है।

'आ' वह आन्दोलन या क्रिया है, जो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार या पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड के प्रति ध्वंसक है या उसके प्रति ध्वंसक कार्यवाहियाँ करने की प्रवृत्ति पैदा करती है।

'क' को विदित हो जाता है कि इस उप-नियम के उपबन्धों के अन्तर्गत, 'आ' के साथ 'ख' का सम्पर्क आपत्तिजनक है। 'क' को चाहिए कि वह 'ख' के ऐसे आपत्तिजनक सम्पर्क को रोकें।

यदि 'क', 'ख' के ऐसे सम्पर्क को रोकने में असफल रहे, तो उसे इस मामले की एक रिपोर्ट पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड के पास भेज देनी चाहिए।

- (3) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई आन्दोलन या क्रिया इस नियम की परिधि में आती है अथवा नहीं, तो इस प्रश्न पर निदेशक मण्डल, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा।
- (4) कोई कार्मिक, किसी विधान मण्डल या स्थानीय प्राधिकारी (local Authority) के चुनाव में, न तो मतार्थन (canvassing) करेगा न अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा, और न उसके संबंध में अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा और न उसमें भाग लेगा;

परन्तु:

(1) कोई कार्मिक, जो ऐसे चुनाव में वोट डालने का अधिकारी है, वोट डालने के अपने अधिकार को प्रयोग में ला सकता है, किन्तु उस दशा में जब कि वह वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करता है, वह इस बात का कोई संकेत न देगा कि उसने किस ढंग से अपना वोट डालने का विचार किया है अथवा किस ढंग से उसने अपना वोट डाला है।

(2) केवल इस कारण से कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अन्तर्गत उस पर आरोपित किसी कर्तव्य के यथोचित पालन में, कोई कार्मिक किसी चुनाव के संचालन में मदद करता है, उसके संबंध में यह नहीं समझा जायेगा कि उसने इस उप-नियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

**स्पष्टीकरण-** किसी कार्मिक द्वारा अपने शरीर, अपनी सवारी गाड़ी या निवास-स्थान पर, किसी चुनाव चिन्ह (electoral symbol) के प्रदर्शन के संबंध में यह समझा जायेगा कि उसने इस उप-नियम के अर्थ के अन्तर्गत, किसी चुनाव के संबंध में अपने प्रभाव का प्रयोग किया है।

#### उदाहरण

किसी चुनाव के संबंध में, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी या मतदान क्लर्क, की हैसियत से कार्य करना उप-नियम (4) के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होगा।

प्रदर्शन तथा हड़तालें- 5- क- कोई कार्मिक

- (1) कोई प्रदर्शन नहीं करेगा या किसी ऐसे प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा, जो भारत की प्रभुता तथा अखंडता के हितों पर

- प्रतिकूल प्रभाव डालने, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों, सार्वजनिक सुव्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के प्रतिकूल हो अथवा जिससे न्यायालय का अवमान या मानहानि होती हो अथवा अपराध करने के लिए उत्तेजना मिलती हो, अथवा
- (2) स्वयं या किसी अन्य कार्मिक की सेवा से सम्बन्धित किसी मामले के संबंध में न तो कोई हड़ताल करेगा और न किसी प्रकार की हड़ताल करने के लिए प्रेरित करेगा।
- कार्मिकों का संघों (Association) का सदस्य बनना— 5— ख— कोई कार्मिक किसी ऐसे संघ का न तो सदस्य बनेगा और न उसका सदस्य बना रहेगा, जिसके उद्देश्य अथवा कार्य—कलाप भारत की प्रभुता तथा अखंडता के हितों या सार्वजनिक सुव्यवस्था अथवा नैतिकता के प्रतिकूल हों।
- समाचार पत्रों (Press) या रेडियों से सम्बन्ध रखना— 6— (1) कोई कार्मिक, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी समाचार-पत्र या अन्य नियतकालिक प्रकाशन (periodical publication) का, पूर्णतः या अंशतः, स्वामी नहीं बनेगा, न उसका संचालन करेगा न उसके सम्पादन-का या प्रबन्ध में भाग लेगा।
- (2) कोई कार्मिक, सिवाय उस दशा के जबकि उसने पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड की या इस सम्बन्ध में पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड द्वारा अधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो अथवा जब वह अपने कर्तव्यों का सद्भाव से निर्वहन कर रहा हो, किसी रेडियो प्रसारण में भाग नहीं लेगा या किसी समाचार-पत्र या पत्रिका को लेख नहीं भेजेगा और छद्मनाम से, अपने नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में, किसी समाचार-पत्र या पत्रिका को कोई पत्र नहीं लिखेगा:
- परन्तु उस दशा में जबकि ऐसे प्रसारण या ऐसे लेख का स्वरूप केवल साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक हो, किसी ऐसे स्वीकृत पत्र (Broadcast) के प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- सरकार एवं पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड की आलोचना— 7— कोई कार्मिक किसी रेडियो प्रसारण में या छद्मनाम से, या स्वयं अपने नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में प्रकाशित किसी लेख्य में या समाचार-पत्रों को भेजे गये किसी पत्र में, या किसी सार्वजनिक कथन (public utterance) में, कोई ऐसी तथ्य की बात (statement of fact) या मत व्यक्त नहीं करेगा:—
- (1) जिसका प्रभाव यह हो कि वरिष्ठ पदाधिकारियों के किसी निर्णय की प्रतिकूल आलोचना हो या पिटकुल या उत्तराखण्ड सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की किसी चालू या हाल की नीति या

कार्य की प्रतिकूल आलोचना हो, अथवा

- (2) जिससे उत्तराखण्ड सरकार और केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार के आपसी सम्बन्धों में उलझन पैदा हो सकती हो; अथवा
- (3) जिससे केन्द्रीय सरकार और किसी विदेशी राष्ट्र की सरकार के आपसी सम्बन्धों में उलझन पैदा हो सकती हो;

परन्तु इस नियम में व्यक्त कोई भी बात किसी कार्मिक द्वारा व्यक्त किए गए किसी ऐसे कथन या विचारों के सम्बन्ध में लागू न होगी, जिन्हें उसने अपने पद की हैसियत से या उसे सौंपे गये कर्तव्यों के यथोचित पालन में व्यक्त किया हो।

#### उदाहरण

(1) 'क' को, जो एक कार्मिक है, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड द्वारा नौकरी से बर्खास्त किया गया है। 'ख' को, जो कि एक दूसरा कार्मिक है, इस बात की अनुमति नहीं है कि वह सार्वजनिक रूप से (publicly) यह कहे कि दिया गया दण्ड अवैध, अत्यधिक या अन्यायपूर्ण है।

(2) कोई लोक अधिकारी स्टेशन 'क' से स्टेशन 'ख' को स्थानान्तरित किया गया है। कोई भी कार्मिक, उक्त लोक अधिकारी को स्टेशन 'क' पर ही बनाए रखने से संबंधित किसी आन्दोलन में भाग नहीं ले सकता।

(3) किसी कार्मिक को इस बात की अनुमति नहीं है कि वह सार्वजनिक रूप से ऐसे मामलों में सरकार की नीति की आलोचना करे, जैसे किसी वर्ष के लिए निर्धारित गन्ने का भाव, परिवहन का राष्ट्रीयकरण, इत्यादि।

(4) कोई कार्मिक निर्दिष्ट आयात की गई वस्तुओं पर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए कर की दर के संबंध में कोई मत व्यक्त नहीं कर सकता।

(5) एक पड़ोसी राज्य उत्तराखण्ड की सीमा पर स्थित किसी भू-खण्ड के संबंध में दावा करता है कि वह भूखण्ड उसका है। कोई कार्मिक उक्त दावे के संबंध में, सार्वजनिक रूप से कोई मत व्यक्त नहीं कर सकता।

(6) किसी कार्मिक को इस बात की अनुमति नहीं है कि वह किसी विदेशी राज्य के इस निश्चय पर कोई मत प्रकाशित करे कि उसने उन रियायतों को समाप्त कर दिया है जिन्हें वह एक दूसरे राज्य के राष्ट्रियों (nationals) को देता था।

किसी समिति या किसी 8— (1) अन्य प्राधिकारी के सामने साक्ष्य—

उप नियम (3) के उपबन्धित रीति के अतिरिक्त, कोई कार्मिक, सिवाय उस दशा के जबकि उसने नियन्त्रक अधिकारी की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी जाँच के संबंध में साक्ष्य नहीं देगा।

- (2) उस दशा में जबकि उप-नियम (1) के अन्तर्गत कोई स्वीकृति प्रदान की गई हो, कोई कार्मिक, इस प्रकार से साक्ष्य देते समय पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, उत्तराखण्ड सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की नीति की आलोचना नहीं करेगा।
- (3) इस नियम में दी हुई कोई बात, निम्नलिखित के संबंध में लागू न होगी:-

(क) साक्ष्य, जो पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, उत्तराखण्ड राज्य की विधान-सभा या संसद द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी के सामने दी गई हो, अथवा

(ख) साक्ष्य, जो किसी न्यायिक (Judicial) जाँच में दी गयी हो।

सूचना का अनधिकृत  
संचार -

- 9- कोई कार्मिक, सिवाय पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड या सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेशानुसार या उसको सौंपे गए कर्तव्यों का सद्भाव के साथ (in good faith) पालन करते हुए, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई सरकारी लेख्य या सूचना किसी कार्मिक को या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसे ऐसा लेख्य या सूचना देने या संचार करने का उसे अधिकार न हो, न देगा और न संचार करेगा।

स्पष्टीकरण- किसी कार्मिक द्वारा अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को दिए गये अभ्यावेदन में किसी पत्रावली की टिप्पणियों का या टिप्पणियों में से उद्धरण देना इस नियम के अर्थ के अन्तर्गत सूचना का अनधिकृत संचार माना जायेगा।

चन्दे-

- 10- कोई कार्मिक, पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना किसी ऐसे धमार्थ प्रयोजन के लिए चन्दा या कोई अन्य वित्तीय सहायता मांग सकता है या स्वीकार कर सकता है या उसके इकट्ठा करने में भाग नहीं ले सकता है, जिसका सम्बन्ध डाक्टरी सहायता, शिक्षा या सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य उद्देश्यों से हो, किन्तु उसे इस बात की अनुमति नहीं है कि वह इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए चन्दा आदि मांगे।

#### उदाहरण

कोई भी कार्मिक, पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना जनता के उपयोग के लिए किसी नल-कूप (ट्यूब वेल) के बेधन के लिए या किसी सार्वजनिक घाट के निर्माण या मरम्मत के लिए, चन्दा जमा नहीं कर सकता।

भेंट-

- 11- कोई कार्मिक, सिवाय उस दशा के जबकि उसने पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो-

(क) स्वयं अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी ऐसे व्यक्ति से, जो उसका निकट-सम्बन्धी न हो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई भेंट, अनुग्रह-धन पुरस्कार स्वीकार नहीं करेगा, या

(ख) अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य को, जो उस पर आश्रित हो, किसी ऐसे व्यक्ति से, जो उसका निकट सम्बन्धी न हो, कोई भेंट, अनुग्रह, धन या पुरस्कार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा:-

परन्तु वह किसी जातीय मित्र (personal friend) से कार्मिक के मूल वेतन का दशांश या उससे कम मूल्य का एक विवाहोपहार या किसी रीतिक अवसर पर इतने ही मूल्य का एक उपहार स्वीकार कर सकता है या अपने परिवार के किसी सदस्य को उसे स्वीकार करने की अनुमति दे सकता है। किन्तु सभी कार्मिकों को चाहिए कि वे इस प्रकार के उपहारों के दिए जाने को भी रोकने का भरसक प्रयत्न करें।

11- (क)- कोई कार्मिक-

(1) न तो दहेज देगा और न लेगा उसके देने या लेने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, और

(2) न, यथास्थिति, वधु या वर के माता-पिता या संरक्षक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दहेज की माँग करेगा।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनार्थ शब्द "दहेज" का वही अर्थ होगा, जो दहेज प्रतिरोध अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 28, वर्ष 1961) में इसके लिये दिया गया है।

कार्मिकों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन

12-

कोई कार्मिक, सिवाय उस दशा के जब कि उसने पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो कोई माँग-पत्र या विदाई-पत्र नहीं लेगा, न कोई प्रमाण-पत्र स्वीकार करेगा और न अपने सम्मान में या किसी अन्य कार्मिक के सम्मान में आयोजित किसी सभा या सार्वजनिक आमोद में उपस्थित होगा:

परन्तु इस नियम में दी हुई कोई बात, किसी ऐसे विदाई समारोह के संबंध में लागू न होगी, जो सारतः (Substantially) निजी तथा अरीतिक स्वरूप का हो, और जो किसी कार्मिक के सम्मान में उसके अवकाश प्राप्त करने (retirement) या स्थानान्तरण के अवसर पर आयोजित हो, या किसी ऐसे व्यक्ति के सम्मान में आयोजित हो जिसने हाल ही में पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड की सेवा छोड़ी हो।

**उदाहरण**

'क', जो अधिशासी अभियन्ता है, रिटायर होने वाला है। 'ख' जो जिले में एक दूसरा अधिशासी अभियन्ता है, 'क' के सम्मान में एक ऐसा भोज दे सकता है जिसमें चुने हुए व्यक्ति

आमंत्रित किये गये हों।

कोई कार्मिक, सिवाय उस दशा के जबकि उसने पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी व्यापार या कारोबार में भाग नहीं लेगा और न ही कोई रोजगार करेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निगम कर्मचारी की पति/पत्नी के द्वारा किसी असरकारी व्यापार, जिसका पिटकुल के व्यवसाय से सम्बन्ध हो, को हाथ में लेने की दशा में ऐसे व्यापार की सूचना निगम कर्मचारी द्वारा निगम को दी जायेगी।

परन्तु कोई कार्मिक, इस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त किये बिना कोई सामाजिक या धर्मार्थ प्रकार का अवैतनिक कार्य या कोई साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का आकस्मिक (occasional) कार्य कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इस कार्य द्वारा उसके निगमीय कर्तव्यों में कोई अड़चन नहीं पड़ती है तथा वह ऐसा कार्य हाथ में लेने से एक महीने के भीतर ही, प्रबन्ध निदेशक को और यदि वह स्वयं प्रबन्ध निदेशक हो, तो निदेशक मण्डल को, इस बात की सूचना दे दें, किन्तु यदि निदेशक मण्डल उसे इस प्रकार का कोई आदेश दे तो वह ऐसा कार्य हाथ में नहीं लेगा, और यदि उसने उसे हाथ में ले लिया है, तो बंद कर देगा।

विशुद्ध रूप से साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक किस्म की रचनाओं से भिन्न रचनाओं के प्रकाशन की दशा में पुस्तकें लिखने तथा प्रकाशित करने और उनके लिये स्वामित्व (रायल्टी) स्वीकार करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर दी जायेगी:-

- (1) पुस्तक पर पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड या सरकार की मुद्रणानुज्ञप्ति (imprimatur) अंकित न हो।
- (2) पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर लेखक का नाम बिना उसके निगमीय पदनाम के दिया गया हो, किन्तु पुस्तक के वहिरावरण (dust-cover) पर जिसमें जनता को लेखक का परिचय दिया जाता है, तो कार्मिक का निगमीय पदनाम देने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
- (3) लेखन पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर अथवा किसी अन्य उपयुक्त स्थल पर अपने नाम से यह उल्लेख कर दे कि पुस्तक में वर्णित लेखक के विचारों और टीका टिप्पणियों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की है और पुस्तक के प्रकाशन से पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड या सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।
- (4) लेखक को यह बात भी सुनिश्चित करनी चाहिये कि पुस्तक में तथ्य अथवा मत संबंधी कोई ऐसा कथन नहीं है जिसमें राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी अन्य राज्य

सरकार या स्थानीय प्राधिकारी की किसी वर्तमान अथवा हाल की नीति या कार्य की कोई प्रतिकूल आलोचना की गई है।

- (5) कार्मिकों को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों की बिक्री से होने वाली आय पर एकमुश्त धनराशि अथवा लगातार प्राप्त होने वाली धनराशि दोनों ही रूप में स्वामित्व (रायल्टी) स्वीकार करने की अनुमति दी जा सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि:-

(क)-(1) पुस्तक केवल नौकरी के दौरान प्राप्त ज्ञान की सहायता से लिखी गई है, अथवा

(2) पुस्तक केवल पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड या सरकारी नियमों, विनियमों या कार्यविधियों का संकलन मात्र है,

तो लेखक (कार्मिक) से, जब तक कि निदेशक मण्डल विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निदेश न दें, इस बात की अपेक्षा की जायेगी कि वह आय का एक-तिहाई पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड के खाते में उस दशा में जमा करें जब कि आय रू0 2500 से अधिक हो या यदि वह आवर्तक रूप में प्राप्त होने वाली तथा रू0 2500 वार्षिक से अधिक हो।

(ख)-(1) पुस्तक कार्मिक द्वारा अपनी नौकरी के दौरान प्राप्त ज्ञान की सहायता से लिखी गई है, किन्तु वह पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड के नियमों, विनियमों और अथवा कार्यविधियों का संग्रह मात्र नहीं है वरन् सम्बन्धित विषय पर लेखक के विद्वतापूर्ण अध्ययन को प्रकट करती है, अथवा

(2) रचना के लेखक के कार्मिक पद से न तो कोई सम्बन्ध है और न होने की सम्भावना है,

तो पुस्तक की बिक्री की आय या स्वामित्व (रायल्टी) से उसके द्वारा आवर्तक या अनावर्तक रूप में प्राप्त आय का कोई भाग सामान्य राजस्व के खाते में जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

- 2- यह भी निश्चित किया गया है कि पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड कार्मिकों की आचरण नियमावली 2026 के नियम 13 के अधीन कार्मिकों द्वारा ऐसी साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक किस्म की रचनाओं के प्रकाशन के लिये पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है जिनमें उनके निगमिय कार्य से सहायता नहीं ली गई है और प्रतिशत के आधार पर स्वामित्व (रायल्टी)

स्वीकार करने का प्रस्ताव नहीं किया गया है। किन्तु कार्मिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रकाशनों में उन शर्तों का कड़ाई से पालन किया गया है जिनका उल्लेख ऊपर प्रस्तर-1 में किया गया है और उनसे कार्मिकों की आचरण नियमावली के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होता है।

3- किन्तु उन सभी दशाओं में पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड की पूर्व स्वीकृति ली जानी चाहिये जिनमें लगातार स्वामित्व (रायल्टी) प्राप्त करने का प्रस्ताव हो। इस प्रकार की अनुमति देते समय रचना के पाठ्य-पुस्तक के रूप में नियत किये जाने और ऐसी दशा में कार्मिक पद के दुरुपयोग होने की सम्भावना पर भी विचार किया जाना चाहिए।

कम्पनियों का  
निबन्धन, प्रवर्तन  
(promotion) तथा  
प्रबन्ध-

14- कोई कार्मिक, सिवाय उस दशा के जब कि उसने पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे बैंक या अन्य कम्पनी के निबन्धन, प्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग न लेगा, जो इंडियन कम्पनीज एक्ट, 1956/2013 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, निबद्ध हुआ है :

परन्तु कोई कार्मिक को-आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1912 (एक्ट सं0 2, 1912) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निबद्ध किसी सरकारी समिति या सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 (एक्ट सं0-21, 1860) या किसी तत्स्थानी प्रवृत्त विधि के अधीन निबद्ध किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या धर्मार्थ समिति के निबन्धन, प्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग ले सकता है।

और भी परन्तु यदि कोई कार्मिक किसी सहकारी समिति के प्रतिनिधि के रूप में किसी बड़ी सहकारी समिति या निकाय (Body) में उपस्थित हो तो उस बड़ी सहकारी समिति या निकाय के किसी पद के निर्वाचन की इच्छा न करेगा। वह ऐसे निर्वाचनों में केवल अपना मत देने के लिए भाग ले सकता है।

बीमा कारोबार-

15- कार्मिक की पत्नी/पति द्वारा किए जा रहे बीमा व्यवसाय या किसी अन्य व्यवसाय का तथ्य जैसे ही कार्मिक के संज्ञान में आता है, तो वह तुरन्त नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में सूचित करेगा। कर्मचारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि वह, अपने पति या पत्नी की व्यावसायिक गतिविधियों (बीमा कारोबार सहित) को बढ़ावा देना या प्रचारित नहीं करेगा और कार्मिक यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके प्रभाव का उपयोग किसी भी तरह से उसके पति/पत्नी की व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, प्रोत्साहन और प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा।

अवयस्को (minors) का संरक्षकत्व

16- कोई कार्मिक, समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना, उसी पर आश्रित किसी अवयस्क के अतिरिक्त, किसी अन्य

मुख्यालय एवं पंजीकृत कार्यालय:- विद्युत भवन, नजदीक-आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून - 248002

दूरभाष नं0 0135-2646000 फैक्स नं0 0135-2643460

पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड कार्मिकों की आचरण विनियमावली-2026

(guardianship)–

अवयस्क (minor) के शरीय या सम्य के विधिक संरक्षण (legal guardian) के रूप में कार्य नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण-1– इस नियम के प्रयोजन के लिये, आश्रित (dependant) से तात्पर्य किसी कार्मिक की पत्नी, बच्चों तथा सौतेले बच्चों से है, और इसके अन्तर्गत उसके जनक (parents) बहिने, भाई, भाई के बच्चे और बहिन के बच्चे भी सम्मिलित होंगे, यदि वे उसके साथ निवास करते हों और उस पर पूर्णतः आश्रित हों।

स्पष्टीकरण-2– कोई कार्मिक, किसी अन्य अवयस्क (minor) के शरीय या सम्य के विधिक संरक्षण (legal guardian) के रूप में कार्य करने हेतु समुचित प्राधिकारी से स्वीकृति उसी दशा में प्राप्त कर सकेगा, जबकि उसके द्वारा इस हेतु पूर्ण रूप से विधिक प्रक्रिया का पालन कर लिया गया हो।

स्पष्टीकरण-3– इस नियम के प्रयोजन के लिये समुचित प्राधिकारी (Appropriate Authority) प्रबन्ध निदेशक होंगे।

किसी संबंधी  
(रिश्तेदार) के विषय में  
कार्यवाही–

17–

(1) जब कोई कार्मिक, किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में, जो उसका संबंधी हो, चाहे वह संबंध दूर या निकट का हो, कोई प्रस्ताव या मत प्रस्तुत करता है या कोई अन्य कार्यवाही करता है, चाहे यह प्रस्ताव मत या कार्यवाही, उक्त संबंधी के पक्ष में हो अथवा उसके विरुद्ध हो, तो वह प्रत्येक ऐसे प्रस्ताव, मत या कार्यवाही के साथ, यह बात भी स्पष्ट रूप से बता देगा कि वह व्यक्ति विशेष उसका संबंधी है अथवा नहीं है और यदि वह उसका ऐसा संबंधी है, तो इस संबंध का स्वरूप क्या है।

(2) जब किसी प्रवृत्त विधि, नियम या आज्ञा के अनुसार कोई कार्मिक किसी प्रस्ताव, मत या किसी अन्य कार्यवाही के संबंध में अंतिम रूप से निर्णय करने की शक्ति रखता है, और जब वह प्रस्ताव, मत या कार्यवाही, किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के संबंध में है, जो उसका संबंधी है, चाहे वह संबंध दूर अथवा निकट का हो, और चाहे उस प्रस्ताव, मत या कार्यवाही का उक्त व्यक्ति विशेष पर अनुकूल प्रभाव पड़ता हो या अन्यथा, वह कोई निर्णय नहीं देगा, बल्कि वह उस मामले को अपने वरिष्ठ पदाधिकारी को प्रस्तुत कर देगा और साथ ही उसे प्रस्तुत करने के कारण तथा संबंध के स्वरूप को भी स्पष्ट कर देगा।

सट्टा लगाना–

18–

(1) कोई कार्मिक किसी लगी हुई पूंजी (Investment) में सट्टा नहीं लगायेगा।

स्पष्टीकरण– बहुत ही अस्थिर मूल्य वाली प्रतिभूतियों की सत्त (habitual) खरीद या बिक्री के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि

वह इस नियम के अर्थ में लगी हुई पूंजियों में सट्टा लगाता है।  
(2) प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद की अनुमति तभी तक होगी, जब तक कि प्रतिभूति संविदा(विनियमन) अधिनियम, 1956, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों के साथ-साथ प्रतिभूतियों की बिक्री एवं खरीद को नियंत्रित करने वाले अन्य केन्द्रीय कानून, नियम, विनियमन और आदेश के द्वारा इसकी अनुमति है या निषिद्ध नहीं है।

लगाई हुई पूंजियाँ— 19—

(1) कार्मिक की पत्नी/पति या पत्नी द्वारा किए गये बीमा व्यवसाय या किसी अन्य व्यवसाय का तथ्य कार्मिक के संज्ञान में आता है, तो वह तुरन्त नियुक्त प्राधिकारी को लिखित रूप में सूचित करेगा। कार्मिक यह भी सुनिश्चित करेगा कि वह, अपने पति या पत्नी की व्यावसायिक गतिविधियों (व्यवसाय शुरू करने सहित) को बढ़ावा देना या प्रचारित नहीं करेगा और कार्मिक यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके प्रभाव का उपयोग किसी भी तरह से उसके पति या पत्नी की व्यावसायिक गतिविधि के, प्रोत्साहन और प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई प्रतिभूति या लगी हुई पूंजी उपर्युक्त स्वरूप की है अथवा नहीं, तो उस पर पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

उधार देना और उधार लेना— 20—

(1) कोई कार्मिक, सिवाय उस दशा के जबकि उसने समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास उसके प्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर, कोई भूमि या बहुमूल्य सम्पत्ति हो, रूपया उधार नहीं देगा और न किसी व्यक्ति को ब्याज पर रूपया उधार देगा;

परन्तु कोई कार्मिक, किसी असरकारी नौकर को अग्रिम रूप से वेतन दे सकता है, या इस बात के होते हुए भी कि ऐसा व्यक्ति (उसका मित्र या संबंधी) उसके प्राधिकार की स्थानीय सीमाओं, के भीतर कोई भूमि रखता है, वह अपने किसी जातीय मित्र या संबंधी को, बिना ब्याज के, एक छोटी रकम वाला ऋण दे सकता है।

(2) कोई भी कार्मिक, सिवाय किसी बैंक, सहकारी समिति या अच्छी साख वाले फर्म के साथ साधारण व्यापार क्रम के अनुसार न तो किसी व्यक्ति से, अपने स्थानीय प्राधिकार की सीमाओं के भीतर, रूपया उधार लेगा, और न अन्यथा अपने को ऐसी स्थिति में रखेगा जिससे वह उस व्यक्ति के वित्तीय बंधन (pecuniary obligation) के अन्तर्गत हो जाय, और न वह सिवाय उस दशा के जब कि उसने समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो। अपने परिवार के किसी सदस्य को इस प्रकार का

व्यवहार करने की अनुमति देगा।

परन्तु कोई कार्मिक, किसी जातीय मित्र (personal friend) या संबंधी से अपने दो माह के मूल वेतन या उससे कम मूल्य का बिना ब्याज वाला—एक छोटी रकम का एक नितान्त अस्थायी ऋण स्वीकार कर सकता है या किसी वास्तविक (bona-fide) व्यापारी के साथ उधार—लेखा चला सकता है।

3) जब कोई कार्मिक, इस प्रकार के किसी पद पर नियुक्ति या स्थानान्तरण पर भेजा जाय जिसमें उसके द्वारा उप नियम (1) या उप नियम (2) के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन निहित हो, तो वह तुरन्त ही समुचित प्राधिकारी को उक्त परिस्थितियों की रिपोर्ट भेज देगा, और उसके बाद ऐसे आदेशों के अनुसार कार्य करेगा जिन्हे समुचित प्राधिकारी दें।

दिवालिया और  
अभ्यासी ऋणग्रस्तता  
(Habitual  
indebtedness)-

21—

कार्मिक, अपने जातीय मामलों का ऐसा प्रबन्ध करेगा जिससे वह अभ्यासी ऋणग्रस्तता से या दिवालिया होने से बच सके। ऐसे कार्मिक, को जिसके विरुद्ध उसके दिवालिया होने के संबंध में कोई विधिक कार्यवाही चल रही हो, उसे चाहिए कि वह तुरन्त ही उस कार्यालय या निगम के अध्यक्ष, को जिसमें वह सेवायोजित हो, सब बातों की रिपोर्ट भेज दें।

चल अचल तथा  
बहुमूल्य सम्पत्ति —

22—

1) कोई भी कार्मिक जो अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद से संबंधित कोई व्यवहार करता है तो उसे अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर, वास्तविक समय और व्यवहार से सम्बन्धित समस्त प्रासंगिक सूचना समुचित प्राधिकारी को करेगा।

2) कोई कार्मिक जो अपने एक मास के वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ते) से अधिक की चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में क्रय-विक्रय के रूप में या अन्य प्रकार से कोई व्यवहार करता है तो ऐसे व्यवहार की सूचना तीस (30) दिनों के भीतर समुचित प्राधिकारी को करेगा।

3) प्रथम नियुक्ति के समय और तदुपरान्त प्रत्येक वर्ष की अवधि बीतने पर, प्रत्येक कार्मिक, सामान्य रूप से नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को, ऐसी सभी अचल सम्पत्ति की घोषणा करेगा जिसका वह स्वयं स्वामी हो, जिसे उसने स्वयं अर्जित किया हो या जिसे उसने दान के रूप में पाया हो या जिसे वह पट्टा या रेहन पर रखे हो, और ऐसे हिस्सों की या अन्य लगी हुई पूंजियों की घोषणा करेगा, जिन्हें वह समय-समय पर रखे या अर्जित करे, या उसकी पत्नी या उसके साथ रहने वाले या किसी प्रकार भी उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा रखी गई हो या अर्जित की गई हो। इन घोषणा में सम्पत्ति, हिस्सों और अन्य लगी हुई पूंजियों के पूरे ब्योरे दिये जाने चाहिये।

4) समुचित प्राधिकारी, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी भी समय, किसी कार्मिक को यह आदेश दे सकता है कि वह आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, ऐसी चल या अचल सम्पत्ति का, जो उसके पास अथवा उसके परिवार के किसी आश्रित सदस्य के पास रही हो या अर्जित की गई हो, और जो आदेश में निर्दिष्ट हो, एक सम्पूर्ण विवरण-पत्र प्रस्तुत करें। यदि समुचित प्राधिकारी ऐसी आज्ञा दे तो ऐसे विवरण पत्र में, उन साधनों (Means) के या उस तरीके (Source) के ब्योरे भी सम्मिलित हों, जिनके द्वारा ऐसी सम्पत्ति अर्जित की गई थी।

कार्मिकों के कार्यों तथा चरित्र का प्रतिसमर्थन (Vindication) -

23-

कोई कार्मिक सिवाय उस दशा में जब कि उसने नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे कार्मिक कार्य का, जो प्रतिकूल आलोचना या मानहानिकारी आक्षेप का विषय बन गया हो के प्रतिसमर्थन करने के लिये किसी सामाचार-पत्र की शरण नहीं लेगा।

स्पष्टीकरण - इस नियम की किसी बात के संबंध में यह नहीं समझा जायेगा कि किसी कार्मिक को, अपने जातीय चरित्र का या उसके द्वारा निजी रूप में किये गये किसी कार्य का प्रतिसमर्थन करने से प्रतिषेध किया जाता है।

असरकारी या अन्य बाह्य प्रभाव (Outside influence) का मतार्थन

24-

कोई कार्मिक अपनी सेवा से सम्बन्धित हितों से सम्बद्ध किसी मामले में कोई राजनीतिक या अन्य बाह्य साधनों से न तो स्वयं और न ही अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा कोई प्रभाव डालेगा या प्रभाव डालने का प्रयास करेगा।

स्पष्टीकरण- कार्मिक की यथास्थिति पत्नी या पति या अन्य सम्बन्धी द्वारा किया गया कोई कार्य जो इस नियम की व्याप्ति के अन्तर्गत हो, के संबंध में, जब तक कि इसके विपरीत प्रमाणित न हो जाय, यह माना जायेगा कि वह कार्य सम्बन्धित कार्मिक की प्रेरणा या मौन स्वीकृति से किया गया है।

#### उदाहरण

'क', एक कार्मिक है और 'ख', 'क' के कुटुम्ब का एक सदस्य है, 'ग' एक राजनीतिक दल है और 'ग' के अन्तर्गत 'घ' एक संगठन है। 'ख' ने 'ग' में पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर ली और 'घ' में एक पदाधिकारी हो गया। 'घ' के द्वारा 'ख' ने 'क' की बात का समर्थन करना प्रारम्भ किया यहाँ तक कि 'ख' ने 'क' के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध संकल्प प्रस्तुत किया। 'ख' का यह कार्य उपर्युक्त नियम के उपबन्धों का उल्लंघन होगा और उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह 'क' की प्रेरणा या उसकी मौन स्वीकृति से किया गया है, जब तक कि 'क' यह न प्रमाणित कर दे कि ऐसा नहीं था।

कार्मिकों द्वारा  
अभ्यावेदन-

24-

क- कोई कार्मिक सिवाय उचित माध्यम से और ऐसे निर्देशों के अनुसार जिन्हें पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड/सरकार समय-समय पर जारी करे, व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को कोई अभ्यावेदन नहीं करेगा। नियम 24 का स्पष्टीकरण इस नियम पर भी लागू होगा।

अनाधिकृत वित्तीय  
व्यवस्थाएं-

25-

कोई कार्मिक किसी अन्य कार्मिक के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, कोई ऐसी वित्तीय व्यवस्था नहीं करेगा जिससे दोनों में किसी एक को या दोनों ही अनाधिकृत रूप से या तत्समय प्रवृत्त किसी नियम के विशिष्ट (specific) या विवक्षित (implied) उपबन्धों के विरुद्ध किसी प्रकार का लाभ हो।

#### उदाहरण

(1) 'क', किसी कार्यालय में एक सीनियर क्लर्क है, और स्थानापन्न रूप से पदोन्नति पाने का अधिकारी है। 'क' को इस बात का भरोसा नहीं है कि वह उस स्थानापन्न पद के अपने कर्तव्यों का संतोषजनक रूप से निर्वहन कर सकता है। 'ख' जो एक जूनियर क्लर्क है कुछ वित्तीय प्रतिफल को दृष्टि में रखकर 'क' को निजी तौर पर मदद देने को तैयार होता है। तदनुसार 'क' और 'ख' वित्तीय व्यवस्था करते हैं। दोनों ही इस प्रकार नियम खण्डित करते हैं।

(2) यदि 'क' जो किसी कार्यालय का अधीक्षक है, छुट्टी पर जाय, तो 'ख' जो कार्यालय का सबसे सीनियर असिस्टेंट है, स्थानापन्न रूप से कार्य करने का अवसर पा जायेगा। यदि क, ख के साथ स्थानापन्न भत्ते में एक हिस्सा लेने की व्यवस्था करने के पश्चात् छुट्टी पर जाय, तो 'क' और ख दोनों ही नियम खण्डित करेंगे।

बहु-विवाह-

26-

किसी भी कार्मिक, को बहुविवाह की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

सुख-सुविधाओं  
समुचित प्रयोग-

का 27-

कोई कार्मिक लोक कर्तव्यों के निर्वहन हेतु पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड द्वारा उसे प्रदत्त सुविधाओं का दुरुपयोग अथवा असावधानी पूर्वक प्रयोग नहीं करेगा।

#### उदाहरण

कार्मिकों के निमित्त जिन सुख-सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है उनमें मोटर, टेलीफोन, निवास-स्थान, फर्नीचर, अर्दली, लेखन-सामग्री आदि की व्यवस्था सम्मिलित है। इन वस्तुओं के दुरुपयोग के अथवा उनके असावधानी पूर्वक प्रयोग किये जाने के उदाहरण निम्न हैं:-

(1) कार्मिक के परिवार के सदस्यों या उसके अतिथियों द्वारा, निगमिय व्यय पर, पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ

उत्तराखण्ड लिमिटेड के वाहनों का प्रयोग करना या अन्य असरकारी कार्य के लिये उनका प्रयोग करना;

- (2) ऐसे मामलों में, जिनका सम्बन्ध कार्मिक कार्य से नहीं है, निगमीय व्यय पर, टेलीफोन, ट्रंककॉल करना;
- (3) निगमीय निवास-स्थानों और फर्नीचर के प्रति उपेक्षा बरतना तथा समुचित रूप से रक्षा करने में असफल रहना;

और

- (4) असरकारी कार्य के लिये पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड की लेखन-सामग्री का प्रयोग करना।

खरीदारियों के लिये 28—  
मूल्य देना—

कोई कार्मिक, उस समय तक जब तक कि किस्तों में मूल्य देना प्रथानुसार (customary) या विशेष रूप से उपबन्धित न हो या जब तक कि किसी वास्तविक (bonafide) व्यापारी के पास उसका उधार-लेखा (credit account) खुला न हो, उन वस्तुओं का, जिन्हे उसने खरीदा हो, या ऐसी खरीदारियों उसने दौरे पर या अन्यथा की हों, शीघ्र और पूर्ण मूल्य देना रोके नहीं रखेगा।

बिना मूल्य दिये 29—  
सेवाओं का उपयोग  
करना—

कोई कार्मिक बिना यथोचित और पर्याप्त मूल्य दिये बिना किसी ऐसी सेवा या आमोद (entertainment) का स्वयं प्रयोग नहीं करेगा जिसके लिये कोई किराया या मूल्य या प्रवेश शुल्क लिया जाता हो।

उदाहरण

जब तक ऐसा करना कर्तव्य के एक मात्र के रूप में निर्धारित न किया गया हो, कोई कार्मिक;

- (1) किसी भी किराये पर चलने वाली वाहन में बिना मूल्य दिये यात्रा नहीं करेगा;
- (2) बिना प्रवेश शुल्क दिये सिनेमा शो नहीं देखेगा।

दूसरों की सवारी 30—  
वाहन प्रयोग में  
लाना—

कोई कार्मिक, बिना विशेष परिस्थितियों में, किसी ऐसी सवारी वाहन को प्रयोग नहीं करेगा जो किसी असरकारी व्यक्ति की हो या किसी ऐसे कार्मिक की हो, जो उसके अधीन हो।

अधीनस्थ कार्मिकों के 31—  
जरिये खरीदारियां—

कोई कार्मिक, किसी ऐसे कार्मिक से, जो उसके अधीन हो, अपनी ओर से या अपनी पत्नी या अपने परिवार के अन्य सदस्य की ओर से चाहे अग्रिम भुगतान करने पर या अन्यथा, उसी शहर में या किसी दूसरे शहर में खरीदारियां करने के लिये न तो स्वयं कहेगा और न अपनी पत्नी को या अपने परिवार के किसी ऐसे अन्य सदस्य को, जो उसके साथ रह रहा हो, कहने की अनुमति देगा;

परन्तु यह नियम उन खरीदारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें करने के लिये कार्मिकों से सम्बद्ध निम्नकोटि के कार्मिक वर्ग से कहा जाय।

उदाहरण

'क', एक अधिशासी अभियन्ता है।

- 'ख' उक्त अधिशासी अभियन्ता के अधीन एक सहायक अभियन्ता है। 'क' को चाहिए कि वह अपनी पत्नी को इस बात की अनुमति न दे कि वह 'ख' से कहे कि वह उसके लिए कपड़ा खरीदवा दे।
- निर्वचन (Interpretation)-** 32— यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो उसे पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड को सन्दर्भित करना होगा तथा निदेशक मण्डल, पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड का निर्णय अन्तिम होगा।
- निरसन (Repeal) तथा अपवाद (saving)-** 33— इन नियमों के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई भी नियम, जो इन नियमों के तत्स्थानी थे और जो पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड के नियंत्रण के अधीन कार्मिकों पर लागू होते थे, एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं;
- किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निरसित किये गये नियमों के अधीन जारी हुए किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह आदेश या कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन जारी किया गया था या की गयी थी।
- 34— उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर कार्मिकों की आचरण नियमावली में किये जाने वाले संशोधनों को पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड कार्मिकों की आचरण विनियमावली-2026 में अंगीकार किये जाने हेतु निदेशक मण्डल, पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड अधिकृत होंगे।

### निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक: 649/मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / ईओ-11 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, अध्यक्ष, पिटकुल, देहरादून को अध्यक्ष महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव-निदेशक (मा0सं0) / (परिचालन) / (परियोजना) / (वित्त), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता / महाप्रबन्धक, पिटकुल, .....
5. कम्पनी सचिव, पिटकुल, देहरादून।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल, .....
7. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. मानव संसाधन अनुभाग के समस्त अधिकारी।
9. कट फाईल

(ए0के0 जुयाल)  
महाप्रबन्धक (मा0सं0)(औ0)

